

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SIKAR**

Fee Receipt
Appendix 1-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 13-09-2021 4:54 PM

Fee Receipt No	: 202102327016439	Receipt Date	: 13/09/2021
Name	: VINAY PRAKASH CHOTIA ADV., 1- BRIJ MOHAN SUNDA S/O CHUNNI LAL 2- PRAMESHWARI DEVI W/O BRIJMOHAN 3- VIVIK S/O BRIJMOHAN	Document S. No.	: 202101327015630
Address	: VILLAGE KUDAN, SIKAR		
Document Type	: Inspection And Search		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹ 0
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 0	Stamp Duty	: ₹ 650
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 650
		Other than Cash	: ₹ 650
		Total Amount	: ₹ 650

From Year 2009 To Year 2021

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 53493837 ₹ 650

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

Parmeshwari Devi

Vinay Prakash Chotia

Advocate (Rajasthan High Court)
Chamber No. 27, Lawyers Chambers,
Court Campus, Sikar (Raj.)- 332001
Reg. No. R/2165/2002
Tel. 9413701033, 8118849493



Office/Residence:
W.No. 39, House No. 1000
Behind Railway Guest House
Choudhary Colony, Sikar (Raj.)
Email : vinayprakash03@yahoo.co.in
vinayprakashchotia@gmail.com

Sr.No.

Date

Ref. No.- 212/ADV/ 13.09.2021

To,

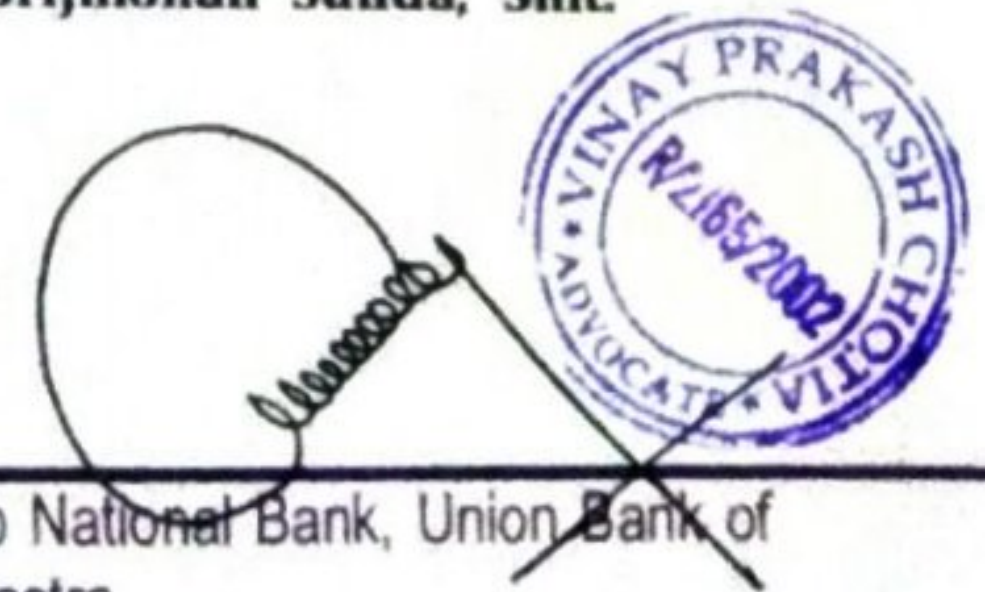
Registrar (RERA),
2nd and 3rd Floor, RSIC Building,
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme,
Jaipur.

Sub:- Title search report of Residential Property Project "Brij Vihar Aawasiya Yojana Phage-II" for Registration Certificate of Project under RERA, ACT, 2016 in respect of Khasara No. 1132/1125, Rakba/Area 0.8026 Hectare and Khasara No. 1136/758 Rakba 0.2819 and Khasara No. 1135/757 Rakba 0.8306 Hectare, Total Rakba 19151 Square Meters Revenue Village Jagmalpura Patwar Halka Bhadawasi, Tehsil and District Sikar belongs to 1. Smt. Parmeshawari Devi w/o Mr. Brijmohan Sunda and Mr. Vivek Kumar s/o Mr. Brijmohan through POA Mr. Brijmohan Sunda and Mr. Brijmohan Sunda s/o Mr. Chunni Lal Self; both Khasara Land (Total Rakba/Measuring 0.8026 Hectare + 0.2819 Hectare + 0.8306 Hectare = 19151 Square Meters) Situated at Village Jagmalpura, Patwar Halka Bhadawasi, Tehsil and District Sikar, Rajasthan.

Brief history of title:- Initially Khasara No. 1125/1122, Total Rakba/Area- 1.0384 Hectare Barani 2, Situated at Village Jagmalpura, Patwar Halka Bhadawasi, Tehsil and District Sikar, Rajasthan. According to Jamabandi Samwat 2075-78, above mentioned whole Khasara Land belongs to Khatedar Mr. Brijmohan Sunda s/o Mr. Chunni Lal (Share 1857/4357), Smt. Parmeshwari Devi w/o Mr. Brijmohan (Share 1250/4357) and Mr. Vivek Kumar s/o Mr. Brijmohan (Share 1250/4357) & Khasara No. 758/846, Total Rakba/Area- 0.3000 Hectare Barani 2, Situated at Village Jagmalpura, Patwar Halka Bhadawasi, Tehsil and District Sikar, Rajasthan. According to Jamabandi Samwat 2075-78, above mentioned Khasara Land belongs to Khatedar Mr. Vivek s/o Mr. Brijmohan (whole share) & Khasara No. 757, Total Rakba/Area- 2.3500 Hectare Barani 2, Situated at Village Jagmalpura, Patwar Halka Bhadawasi, Tehsil and District Sikar, Rajasthan. According to Jamabandi Samwat 2075-78, above mentioned Khasara Land belongs to Khatedar Mr. Brijmohan s/o Mr. Chunni Lal (whole share) and they have above mentioned share under joint and single ownership.

Smt. Parmeshawari Devi w/o Mr. Brijmohan Sunda and Mr. Vivek Kumar s/o Mr. Brijmohan decided to developed residential colony in their land and executed a power of attorney on 12.04.2021, Book No. 04, Zild No. 41, Page No. 2, S. No. 202103327400072, Add. Book No. 04, Zild No. 75, Page No. 10 to 17 which was registered at Sub Registrar Sikar in favour of **Mr. Brijmohan Sunda s/o Mr. Chunni Lal** with the power to sale, gift, partition of khasara land, surrender for Rasta to Government, to get approval from UIT Sikar for change of land use for residential purpose, approval of site plan, issue allotment letter to get Patta issued from UIT Sikar.

Then, **Mr. Brijmohan Sunda s/o Mr. Chunni Lal** (self) and behalf of Power of attorney of Smt. Parmeshawari Devi and Mr. Vivek Kumar decided to develop a residential colony in their land and applied for land conversion of land (Khasara No. 1125/1122, Rakba/Area 0.8026 hectare out of total 1.0384 hectare in the name of **Mr. Brijmohan Sunda, Smt.**



Vinay Prakash Chotia

Advocate (Rajasthan High Court)
Chamber No. 27, Lawyers Chambers,
Court Campus, Sikar (Raj.)- 332001
Reg. No. R/2165/2002
Tel. 9413701033, 8118849493



Office/Residence:
W.No. 39, House No. 1000
Behind Railway Guest House
Choudhary Colony, Sikar (Raj.)
Email : vinayprakash03@yahoo.co.in
vinayprakashchotia@gmail.com

Sr.No.

Date

Parmeshawari Devi and Mr. Vivek Kumar and Khasara No. 758/846, Rakba/Area 0.2819 hectare out of total 0.3000 hectare in the name of Mr. Vivek Kumar & Khasara No. 757, Rakba/Area 0.8306 hectare out of total 2.3500 hectare in the name of Mr. Brijmohan under jurisdiction in the office of Nagar Vikash Nyas Sikar Rajasthan by submitting all previous title documents/Jamabandi.

Thereafter, the office of Nagar Vikash Nyas Sikar Rajasthan converted the use of land of (Khasara No. 1125/1122, Rakba/Area 0.8026 hectare out of total 1.0384 hectare in the name of Mr. Brijmohan Sunda, Smt. Parmeshawari Devi and Mr. Vivek Kumar and Khasara No. 758/846, Rakba/Area 0.2819 hectare out of total 0.3000 hectare in the name of Mr. Vivek Kumar & Khasara No. 757, Rakba/Area 0.8306 hectare out of total 2.3500 hectare in the name of Mr. Brijmohan) agricultural to Non Agricultural Residential purpose under section 90(A) Rajasthan Land Revenue Act, 1956; vide order No. LU2012/SIK/2021-22/100156, Dated 03.08.2021 and thereafter, mutation filled in favour of Nagar Vikash Nyas Sikar Rajasthan on 06.08.2021, No. 1386; and Khasara No. 757 changed into Khasara No. 1135/757 Rakba 0.8306 hectare in Ger Mumkin Residential & Khasara No. 1125/1122 changed into Khasara No. 1132/1125 Rakba 0.8026 hectare in Ger Mumkin Residential & Khasara No. 758/846 changed into Khasara No. 1136/758 Rakba 0.2819 hectare in Ger Mumkin Residential.

Thereafter, Mr. Brijmohan Sunda s/o Mr. Chunni Lal (self) and behalf of Power of attorney of Smt. Parmeshawari Devi and Mr. Vivek Kumar are jointly applied for approval of project site plan in above mentioned Residential converted land Scheme "Brij Vihar Aawasiya Yojana Phage-II" in the office of UIT Sikar, Rajasthan.

Then, Office of UIT Sikar approved the project site map of this land scheme "Brij Vihar Aawasiya Yojana Phage-II" vide letter No.- Nagar Vikash Nyas/Niyaman/2021/2735, Dated 09.09.2021 under term and condition of Township Policy 2010.

Presently 1. Smt. Parmeshawari Devi w/o Mr. Brijmohan Sunda and Mr. Vivek Kumar s/o Mr. Brijmohan through POA Mr. Brijmohan Sunda and Mr. Brijmohan Sunda s/o Mr. Chunni Lal Self are jointly absolute owner of the said residential converted land as per the records available.

I, further certify that 1. Smt. Parmeshawari Devi w/o Mr. Brijmohan Sunda and Mr. Vivek Kumar s/o Mr. Brijmohan through POA Mr. Brijmohan Sunda and Mr. Brijmohan Sunda s/o Mr. Chunni Lal Self have a valid and marketable title/right in the property and same is free from any encumbrances, charges, lien and attachment.

Search receipt enclosed, Document Sr. No. 202102327016439, Dated 13.09.2021 herewith for ready reference.

VINAY PRAKASH CHOTIA
Panel Advocate

2



Counsel :- Bank of Baroda, Axis Bank, Canara Bank, Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Central Bank of India, India Overseas Bank, Bank of Maharashtra

{ नियम 7 (1) देखिए }

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सीकर

मामला सं.- LU2012/SIK/2021-22/100156

1. ब्रजमोहन सुण्डा पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट सा. कूदन हाल आबाद चरणसिंह गेट, नवलगढ़ रोड़, सीकर।
2. परमेश्वरी देवी पत्नी ब्रजमोहन जाति जाट सा. कूदन, सीकर।
3. विवेक कुमार पुत्र ब्रजमोहन जाति जाट नि. कूदन सीकर।

विषय:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक:-

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

- (1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय योजना प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

तहसील एवं जिला का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
तह. व जिला सीकर	जगमालपुरा	1125/1122	1.0384 है. में से 0.8026 है.
तह. व जिला सीकर	जगमालपुरा	758/846	0.3000 है. में से 0.2819 है.
तह. व जिला सीकर	जगमालपुरा	757	2.3500 है. में से 0.8306 है.

- (2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-नैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- (3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है/करवा लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना के अन्तर्गत है। आवेदन को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क, 91 और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय योजना प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- (4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम जगमालपुरा तह. सीकर के खसरा नम्बर 1125/1122 रकबा 1.0384 है. में से 0.8026 खसरा नम्बर 758/846 रकबा 0.3000 है. में से 0.2819 है. व खसरा नम्बर 757 रकबा 2.3500 है. में से 0.8306 है. कुल रकबा 1.9151 है. भूमि पर आवेदक के अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय योजना के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जाये और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्यवसायीन रखा गया समझा जायेगा।
- (5) आवेदक द्वारा उक्त भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रमारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
- यह आदेश अर्थात् अर्जा के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 31/8/21 को पारित किया गया।



क्रमांक:- न/वि/स/2020/ 2345-51
प्रति सूचना एवं आदेश कार्यवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

1. अधिशेष अभियंता/सहायक नगर नियोजक कार्यालय हाजा।
2. तहसीलदार, तह. सीकर को पूर्वोक्त भूमि को नगर विकास न्यास, सीकर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. ब्रजमोहन सुण्डा पुत्र चुन्नीलाल, परमेश्वरी देवी पत्नी ब्रजमोहन एवं विवेक कुमार पुत्र ब्रजमोहन निवासी ग्राम कूदन तहसील जिला सीकर।
4. नियमन शाखा/राजस्व शाखा कार्यालय हाजा।

[Signature]

इन्द्रजीत सिंह (RAS)
प्राधिकृत अधिकारी एवं
सचिव नगर विकास न्यास, सीकर
दिनांक:- 02-08-21

इन्द्रजीत सिंह (RAS)
प्राधिकृत अधिकारी एवं
सचिव नगर विकास न्यास, सीकर

नाम जयमालपुरा

पदवार माहल भादारी

भू.अ.वि. वृत्त कुड़नी

तहसील सीकर

जिला सीकर

नामांतरकरण का प्रकार : ब्यापक आदेश

प्रतिष्ठि का क्रम संख्या एवं दिनांक : 1386 05/08/2021

संवत तथा दाल बाउ की क्रम संख्या 2075-2078

राजस्व/किराया बंधक संख्या एवं दिनांक : 0

नामांतरकरण शुल्क 60 शांति : 0

सभी बिंदु जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमावर्दी (खतोनी) से की प्रविष्टि						जमावर्दी से प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खता संख्या	खमरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व नगान	विशिष्टीय सहित कायतकार का नाम	खता संख्या	विशिष्टीय सहित कायतकार का नाम	खमरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व नगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	757	2.3500	बागरी 2		1.) बजमोहन पुत्र बुध्रीनान हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. बरगनिह गेट नवलगढ़ गेट सीकर खातेदार	✓154	1.) बजमोहन पुत्र बुध्रीनान हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. बरगनिह गेट नवलगढ़ गेट सीकर खातेदार	1134/757	1.5194	बागरी 2	
खता : 154	कुल खमरा : 1	कुल क्षेत्रफल : 2.3500	कुल कायतकार : 1			खता : 154	कुल कायतकार : 1	कुल खमरा : 1		कुल क्षेत्रफल : 1.5194	
175	1125/1122	1.0384	बागरी 2		1.) विवेक कुमार पुत्र बजमोहन हिस्सा- 1250/4357 जाति- जाट सा. कुड़न खातेदार 2.) परमेश्वरीदेवी पति बजमोहन हिस्सा- 1250/4357 जाति- जाट सा. कुड़न खातेदार 3.) बजमोहन मुण्डा पुत्र बुध्रीनान हिस्सा- 1857/4357 जाति- जाट सा. कुड़न खातेदार	✓175	1.) विवेक कुमार पुत्र बजमोहन हिस्सा- 1250/4357 जाति- जाट सा. कुड़न खातेदार 2.) परमेश्वरीदेवी पति बजमोहन हिस्सा- 1250/4357 जाति- जाट सा. कुड़न खातेदार 3.) बजमोहन मुण्डा पुत्र बुध्रीनान हिस्सा- 1857/4357 जाति- जाट सा. कुड़न खातेदार	1133/1125	0.2358	बागरी 2	
खता : 175	कुल खमरा : 1	कुल क्षेत्रफल : 1.0384	कुल कायतकार : 3			खता : 175	कुल कायतकार : 3	कुल खमरा : 1		कुल क्षेत्रफल : 0.2358	
327	758/846	0.3000	बागरी 2		1.) विवेक पुत्र बजमोहन हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. कुड़न खातेदार --बदस्तूर खमरा--	✓327	1.) विवेक पुत्र बजमोहन हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. कुड़न खातेदार --बदस्तूर खमरा--	1137/758	0.0181	बागरी 2	
खता : 327	कुल खमरा : 2	कुल क्षेत्रफल : 1.3100	कुल कायतकार : 1			खता : 327	कुल कायतकार : 1	कुल खमरा : 2		कुल क्षेत्रफल : 1.0281	
लगातार 68121 लगातार 20/6.8.21						423	1.) नगर सुधार न्याय सीकर हिस्सा- पूर्ण राजवीर विभागों की भूमि --बदस्तूर खमरा--	✓1132/1125	0.8026	आवासीय प्रयोजनार्थ	
								✓1135/757	0.8306	आवासीय प्रयोजनार्थ	
								✓1138/758	0.2819	आवासीय प्रयोजनार्थ	
						खता : 423	कुल कायतकार : 1	कुल खमरा : 46	कुल क्षेत्रफल : 63.3651		

(क)पदवारी की रिपोर्ट :

जिला सीकर

प्रतिष्ठे का क्रम संख्या एवं दिनांक : 1386 05/08/2021

संवत् तथा द्वात बाहु की क्रम संख्या 2075-2078

नामांतरकरण शुल्क : 60 ग्रामि : 0

संस्कृत का प्रकार - व्यास आदिना

संख्या बंधक कलया एवं दिनांक

[illegible]

हस्ताक्षर

नी का नन्

दिनांक

निम्नलिखित जानकारी के आधार पर: जल की जड़ें मुताबिक जमावर्दी व नगर सुधार न्याय सीमा के आदेश 5/1/2021
निम्नलिखित 2020/2021-51 पिं 3/1/2021 तम्रा-श्रीमान तहसीलदार का सीमा के आदेश 5/1/2021
3423 निम्नलिखित 3/1/21 के अनुसार सही है।
दिनांक 1/8/21

दिनांक

(ग) ग्राम पंचायत राजस्व अधिकारी का आदेश

खाना : 154	कुल खमरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 2.3500	कुल काश्तकार : 1
खाना : 175	कुल खमरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 1.0384	कुल काश्तकार : 3
खाना : 327	कुल खमरे : 2	कुल क्षेत्रफल : 1.3100	कुल काश्तकार : 1

घाता : 154	कुल काश्तकार : 1	कुल घमरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 1.5194
घाता : 175	कुल काश्तकार : 3	कुल घमरे : 1	कुल क्षेत्रफल : 0.2358
घाता : 327	कुल काश्तकार : 1	कुल घमरे : 2	कुल क्षेत्रफल : 1.0281
घाता : 423	कुल काश्तकार : 1	कुल घमरे : 46	कुल क्षेत्रफल : 63.3651

हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत/राजस्व अधिकारी का नाम

दिनांक

P21 प्राप्ति संख्या एवं दिनांक : L 05/08/2021 3:09PM



जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- जगमालपुरा
पटवार हल्का :- भादवासी
भू.अभि.नि. :- कुडली
तहसील :- सीकर
जिला :- सीकर

सम्बत :- 2075 - 2078
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 423
खाता संख्या पुराना :- 0

काश्तकार का नाम:-

1. नगर सुधार न्यास सीकर हिस्सा- पूर्ण राजकीय विभागों की भूमि,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
102/831	0.4400	गै.मु.रास्ता	0.4400		स्वीकृत नामान्तरकरण : 1386 06/08/2021 न्याया. आदेश	
1072/363	19.5400	चारागाह	19.5400			
111	0.2800	गै.मु.रास्ता	0.2800			
112	0.1600	गै.मु.रास्ता	0.1600			
113/832	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500			
1132/1125	0.8026	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.8026			
1135/757	0.8306	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.8306			
1136/758	0.2819	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2819			
131	0.6600	गै.मु.सड़क	0.6600			
135	0.1800	गै.मु.रास्ता	0.1800			
135/824	0.1200	गै.मु.रास्ता	0.1200			
135/825	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000			
147	1.0800	गै.मु.सड़क	1.0800			
195	0.8200	गै.मु.रास्ता	0.8200			
196	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000			
208	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800			
209	0.2700	चारागाह	0.2700			
222	0.6500	गै.मु.रास्ता	0.6500			
223	0.2500	चारागाह	0.2500			
244	0.6500	गै.मु.रास्ता	0.6500			
274	1.4000	चारागाह	1.4000			
292	0.1200	चारागाह	0.1200			
309/847	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300			
334	8.3000	चारागाह	8.3000			
386	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700			
472	0.9500	गै.मु.रास्ता	0.9500			
488	2.5000	गै.मु.रास्ता	2.5000			
528	0.1000	चारागाह	0.1000			
529	2.4500	चारागाह	2.4500			
530	0.2500	चारागाह	0.2500			

Gur



जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (मी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- जगमालपुरा
पटवार हल्का :- भादवासी
भू.अभि.नि. :- कुडली
तहसील :- सीकर
जिला :- सीकर

सम्बत :- 2075 - 2078
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 423
खाता संख्या पुराना :- 0

531	0.2500	चारागाह	0.2500
539	0.2400	चारागाह	0.2400
540	0.2700	चारागाह	0.2700
549	0.1400	चारागाह	0.1400
550	4.2500	चारागाह	4.2500
621	8.6000	चारागाह	8.6000
622	0.1000	गै.मु.वणी	0.1000
627	0.1500	गै.मु.रास्ता	0.1500
640	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500
78	0.0700	चारागाह	0.0700
82	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100
883/615	0.0600	बारानी 2	0.0600
886/293	3.7800	चारागाह	3.7800
930/202	0.2800	चारागाह	0.2800
974/487	0.9000	चारागाह	0.9000
980/487	0.6000	चारागाह	0.6000
कुल खसरे - 46		63.3651	63.3651

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।



Gur



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

https://apnakhata.raj.nic.in/Owner_wise/Edharti_A4_Nakal_vil...

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- जगमालपुरा

पटवार हल्का :- भादवानी

भू.अभि.नि. :- कुडली

तहसील :- सीकर

जिला :- सीकर

अंतिम चोमला आधार सम्बत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर

खाता संख्या नया :- 154

खाता संख्या पुराना :- 150

काश्तकार का नाम:-

1. वजमोहन पुत्र चुप्रीवाल हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. चरणसिंह गेट नवलगढ़ रोड सीकर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
757	2.3500	बाराही 2	2.3500		स्वीकृत नामान्तरकरण : 1364 24/02/2021 रहनमुक्त	
कुल खसरे - 1	2.3500		2.3500			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी को जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 20-Jul-2021



P-35 क्रमांक 2344 दिनांक 20/7/21
पर दर्ज कर नियमानुसार प्राप्त कर
प्रतिलिपि जारी की गई।
प.न. श्रीधर
तहसील सीकर

Gur



जमावन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

https://apnakhata.raj.nic.in/Owner_wise/Edharti_A4_Nakal_vil...

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- जगमालपुरा
पटवार हल्का :- भाद्वामी
भू.अभि.नि. :- कुडनी
तहसील :- सीकर
जिला :- सीकर

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमावन्दी 2075 (वर्ष 2018) में स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 175
खाता संख्या पुराना :- 173

काश्तकार का नाम:-

1. परमेश्वरीदेवी पत्नि वृजमोहन हिस्सा- 1250/4357 जाति- जाट सा. कूदन खातेदार
2. वृजमोहन मुण्डा पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 1857/4357 जाति- जाट सा. कूदन खातेदार
3. विवेककुमार पुत्र वृजमोहन हिस्सा- 1250/4357 जाति- जाट सा. कूदन खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा मंदत लगान	मिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1125/1122	1.0384	बारानी 2	1.0384		स्वीकृत नामांतरकरण : 1364 24/02/2021 रहनमुक्त	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 1367 08/04/2021 विभाजन	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 1376 01/07/2021 न्याया. आदेश	

कुल खसरे - 1 1.0384 1.0384

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में नाश्री के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 20-Jul-2021



P-35 क्रमांक 2244 दिनांक 20.07.21
पर दर्ज कर निदेशानुसार कोस प्राप्त कर
प्रतिनिधि जारी की गई
प्रमाणित
तम. शास्त्री
प्रमाणित अधिकारी

दिनांक



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- जगमालपुरा
पटवार हल्का :- भाद्वामी
भू.अभि.नि. :- कुडली
तहसील :- सीकर
जिला :- सीकर

अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2075 - 2078 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) में स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 327
खाता संख्या पुराना :- 305

काश्तकार का नाम :-

1. बिबेक पुत्र वृजमोहन हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. कूदन खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	मिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
756	1.0100	बारानी 2	1.0100			
758/846	0.3000	बारानी 2	0.3000			
कुल खसरे - 2	1.3100		1.3100			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 20-Jul-2021

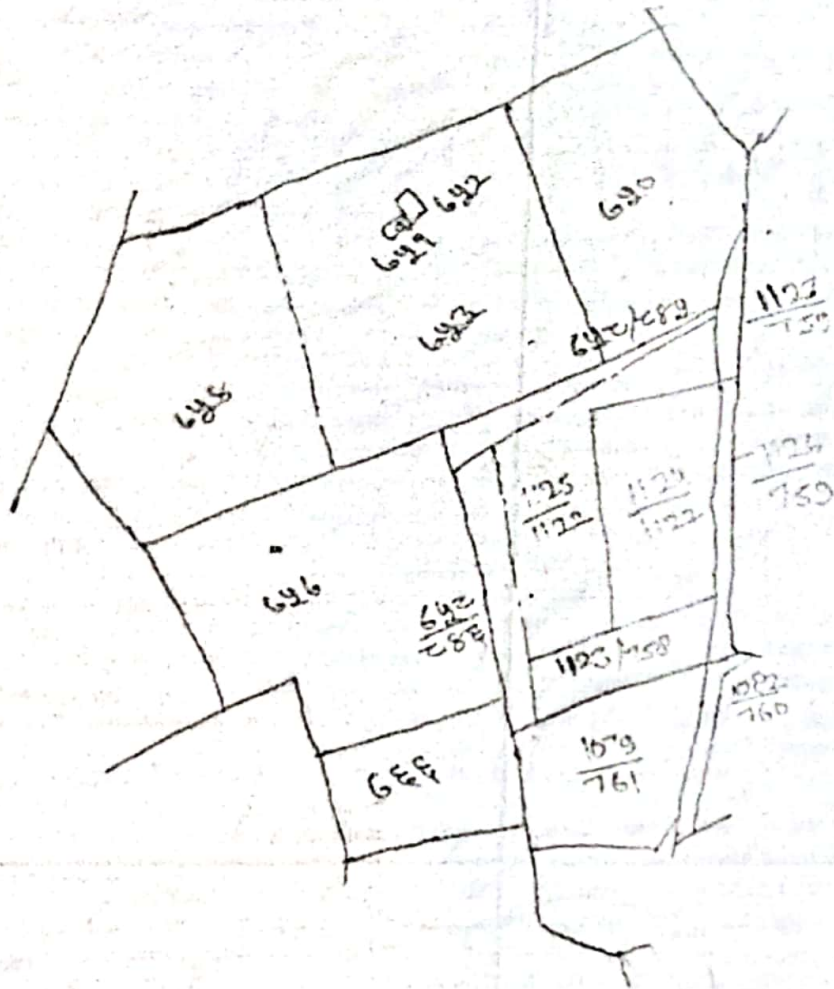


P-35 क्रमांक ... 2344 दिनांक 20.07.21
पर दर्ज कर नियमानुसार प्राप्त कर
प्रतिलिपि जारी की गई।

जमाबंदी प्र.अ.
प.अ. जायलपी
नकलील ग.अ.क

कुल

आंशिक नकल नक्शा
 राजरव ग्राम - जहकलपुरा
 तहसील व जिला सीकर
 राजस्थान
 सन् 1979-80
 सम्यत् 2036
 किता :-



GMR

P-35 क्रमांक 234 दिनांक
 पर दर्ज कर नियमानुसार फीस प्राप्त
 प्रतिलिपि जारी की गई है
 पट्टा नं.
 पं. नं.
 बं. नं.

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 13/09/2021 11:42:46 AM

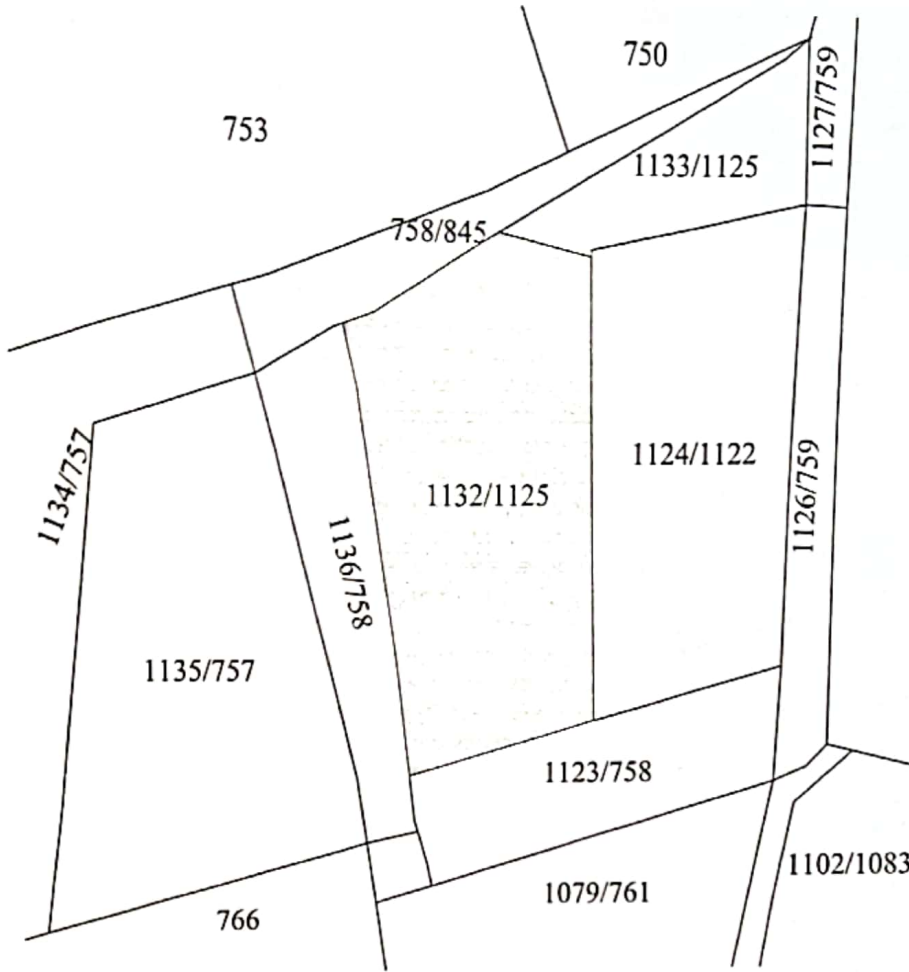
जिला : सीकर

तहसील : सीकर

भू. अ. नि. क्षेत्र : कुड़ली

पटवारी हल्का : भादवासी

ग्राम : जगमालपुरा



Scale 1:2000

खसरा संख्या : 1132/1125 क्षेत्रफल : 0.8026 Hectare खाता संख्या : 423 पुराना खाता संख्या : 173

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] :

1.) नगर सुधार न्यास सीकर हिस्सा- पूर्ण राजकीय विभागों की भूमि

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 13/09/2021 11:45:26 AM

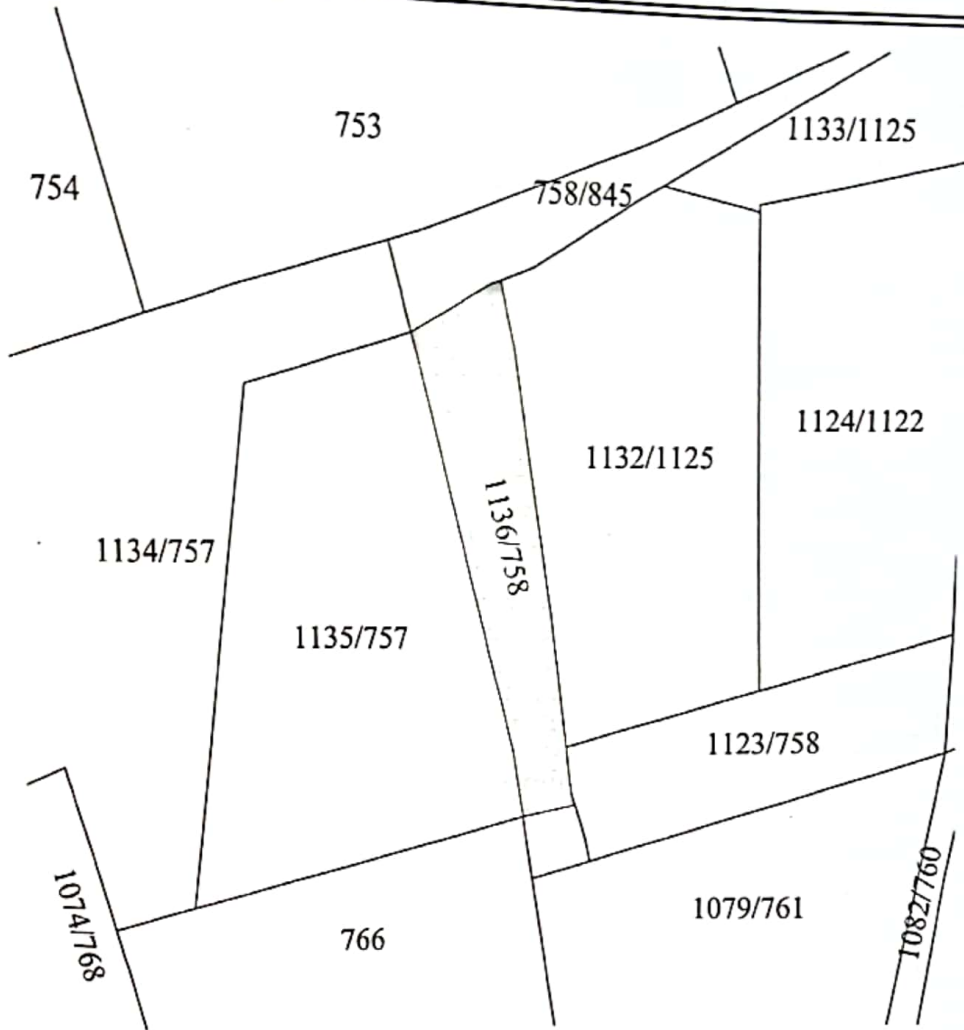
जिला : सीकर

तहसील : सीकर

भू. अ. नि. क्षेत्र : कुड़ली

खसरी हल्का : भादवासी

ग्राम : जगमालपुरा



Scale 1:2000

खसरा संख्या : 1136/758 क्षेत्रफल : 0.2819 Hectare खाता संख्या : 423 पुराना खाता संख्या : 305

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] :

1.) नगर सुधार न्यास सीकर हिस्सा- पूर्ण राजकीय विभागों की भूमि

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 13/09/2021 11:48:38 AM

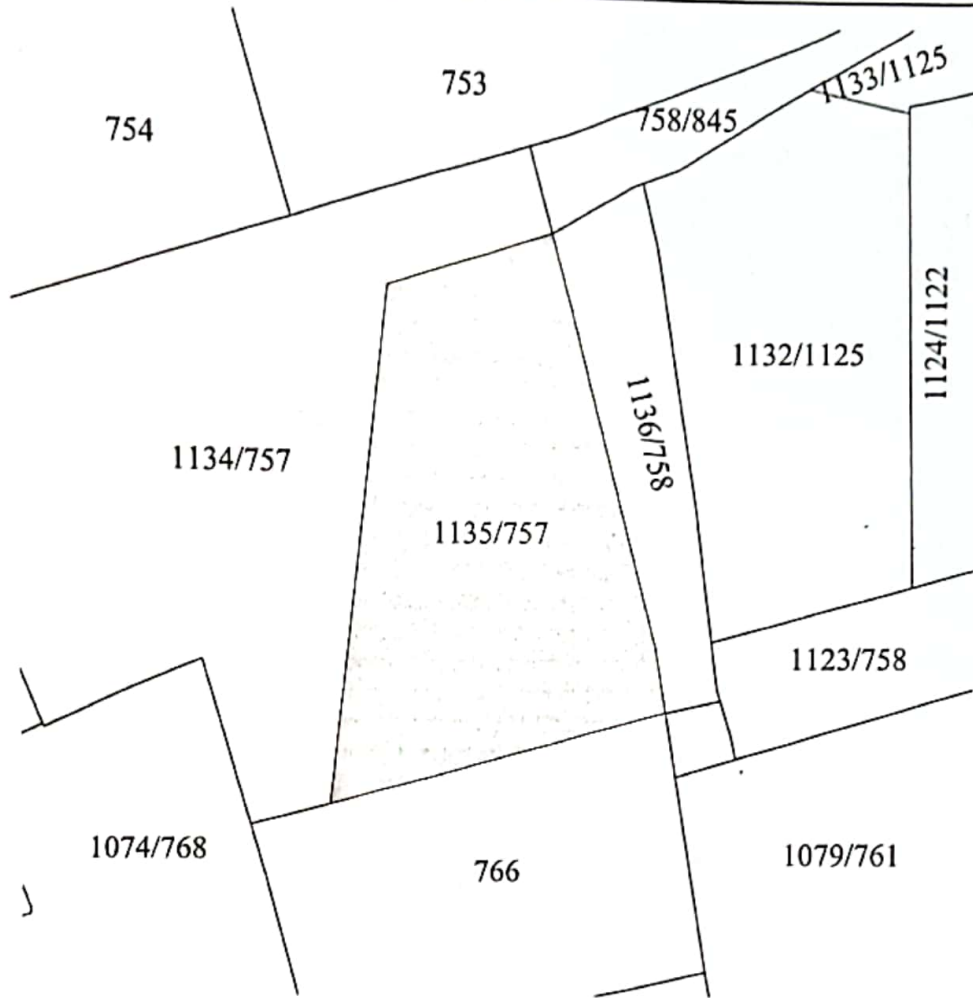
जिला : सीकर

तहसील : सीकर

भू. अ. नि. क्षेत्र : कुड़ली

पटवारी हल्का : भादवासी

ग्राम : जगमालपुरा



Scale 1:2000

खसरा संख्या : 1135/757 क्षेत्रफल : 0.8306 Hectare खाता संख्या : 423 पुराना खाता संख्या : 150

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] :

1.) नगर सुधार न्यास सीकर हिस्सा- पूर्ण राजकीय विभागों की भूमि

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, सीकर**

क्रमांक: LU2012/SIK/2021-22/100156

दिनांक: 23/07/2021

लोक सूचना

श्री BRIJMOHAN SUNDA पुत्र श्री CHUNNI LAL जाति JAAT निवासी VILLAGE KUDAN, DIST. SIKAR, AT PRESENT WARD NO.41, NAWALGARH ROAD, SAMAJ KALYAN VIBHAG K PICHHE, SIKAR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	जगमालपुरा, सीकर (सीकर)	PERMESHWARI DEVI W/O BRIJMOHAN 2.BRIJMOHAN S/O CHUNNI LAL 3. VIVEK KUMAR S/O BRIJMOHAN	1125/1122	8026	0.8026
2.	जगमालपुरा, सीकर (सीकर)	VIVEK KUMAR S/O BRIJMOHAN	758/846	2819	0.2819
3.	जगमालपुरा, सीकर (सीकर)	BRIJMOHAN S/O CHUNNI LAL	757	8306	0.8306
कुल					1.9151

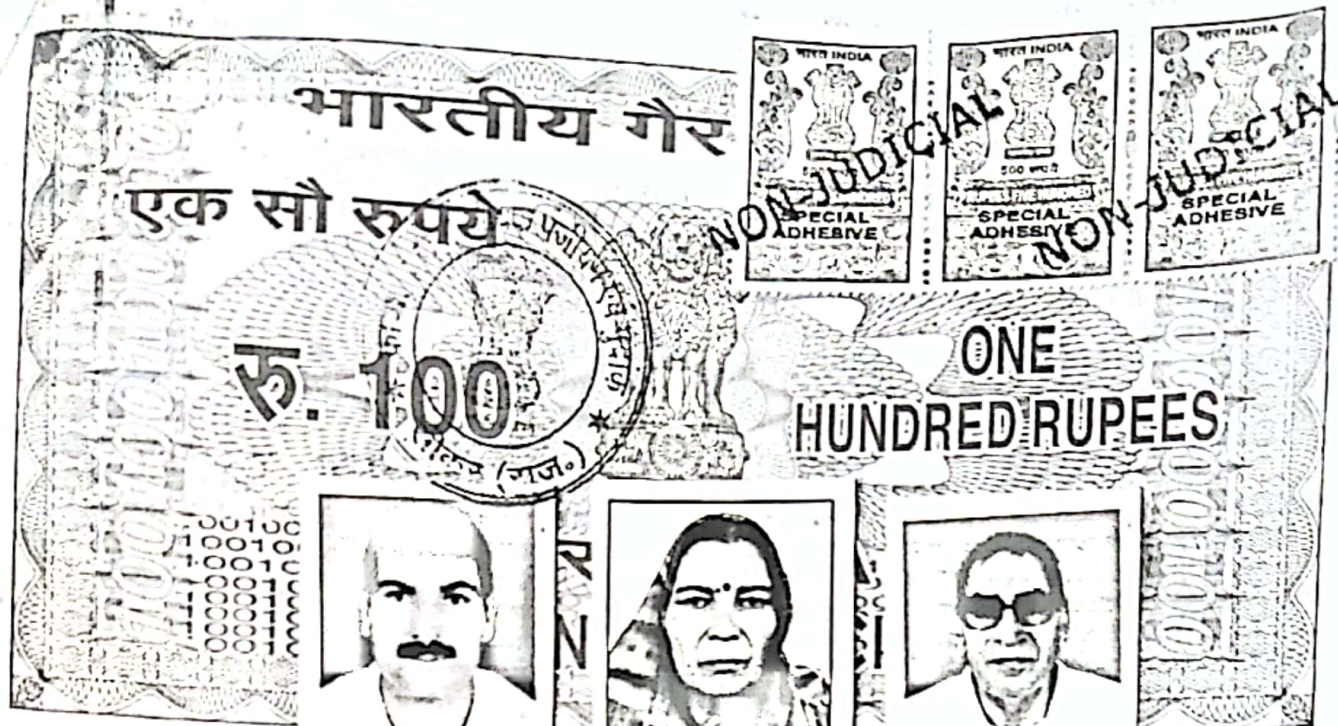
इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23-07-2021 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, सीकर





राजस्थान RAJAS

826114

विवेक श्रीमती परमेश्वरीदेवी
मुख्तयारनामा आमं

बृजमोहन सुब्बा

हम

- 1- विवेक आयु 39 वर्ष पुत्र श्री बृजमोहन जाति जाट निवासी कूदन तहसील धोद जिला सीकर। आधार नं0 6208 8784 2508.
- 2- श्रीमती परमेश्वरीदेवी आयु 69 वर्ष पत्नी श्री बृजमोहन जाति जाट निवासिनी कूदन तहसील धोद जिला सीकर। आधार नं0 3118 8225 8213. के हैं।

जो कि वाकै ग्राम जगमालपुरा पटवार हल्का भादवासी तहसील व जिला सीकर की तन में आराजी खसरा नं0 756 रकबा 1.0100 हैक्टर एवं खसरा नं0 758/846 रकबा 0.3000 हैक्टर कुल किता-2 कुल रकबा 1.3100 हैक्टर अवस्थित है, जिस सम्पूर्ण रकबा भूमि का तनहा काबिज, काश्तकार, खातेदार निष्पादनकर्ता संख्या-01 विवेक पुत्र बृजमोहन है।

जो कि इसी ग्राम जगमालपुरा पटवार हल्का भादवासी तहसील व जिला सीकर की तन में आराजी खसरा नं0 1122/758 रकबा 1.7428 हैक्टर अवस्थित है, जिस सम्पूर्ण रकबा भूमि का तनहा काबिज, काश्तकार, खातेदार निष्पादनकर्ता संख्या-01 विवेक कुमार, तथा 1250/4357 भाग की भूमि की निष्पादनकर्ता संख्या-02 परमेश्वरीदेवी काबिज, काश्तकार, खातेदार है।

विवेक कुमार

(Signature)

(Signature)



राजस्थान RAJASTHAN के उक्त उपर वर्णित दोनों खातों की आराजियात पर उपर वर्णितानुसार हम निष्पादनकर्तागण अपने अपने हक, हिस्से की आराजी पर काबिज, काश्तकार, खातेदार है, तथा हम निष्पादनकर्तागण के हक, हिस्से की आराजियात पर हमारे सिवाय अन्य किसी दीगर का कोई कब्जा, काश्त, हक, अधिकार नहीं है।

जो कि हम निष्पादनकर्तागण इस समय अपने अपने दीगर कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, तथा हम उक्त उपर वर्णित आराजियात में से अपने अपने हक, हिस्से की आराजी सम्पूर्ण को विक्रय किये जाने, एवं अपने अपने हक, हिस्से की आराजियात के बाबत अन्य विभागीय एवं न्यायिक कार्यवाहियों को स्वयं व्यक्तिशः निष्पादित एवं सम्पादित करने में असमर्थ हैं, इसलिये हम निष्पादनकर्तागण अपने अपने हक, हिस्से की आराजियात बाबत अपने क्रमशः पिताजी/पति श्री बृजमोहन सुण्डा पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जाट निवासी कूदन तहसील धोंद जिला सीकर आधार नं० 7351 2394 2120 को अपना अपना मुख्तयार आम नियुक्त कर हक, अधिकार प्रदत्त करते हैं कि उक्त मुख्तयार मजकूर उक्त उपर वर्णित आराजी में से हम प्रत्येक निष्पादनकर्ता के हक, हिस्से की आराजी सम्पूर्ण या इसके किसी भी भाग की भूमि को विक्रय करने का सौदा करें, विक्रय पत्र का पंजीयन करवाने के लिये या उपहार प्रलेख, विनिमय प्रलेख, नामान्तरण तस्दीक करावाने, बंटवारा करवाने या अन्य हस्तान्तरण प्रलेख का पंजीयन करवाने के लिये स्टाम्प खरीदें, उन पर हमारी और से अपने अपने हस्ताक्षर, अंगुठा निशानी करें, विक्रय पत्र, उपहार प्रलेख, समोचन प्रलेख, बंटवारा कराने, विनिमय प्रलेख का पंजीयन करवावें, इन आराजियात के बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद जिस किसी भी न्यायालय में लम्बित है, या भविष्य में किसी दीगर द्वारा संस्थित किया जाता है या संस्थित किया जाना हो, उन तमाम प्रकरणों को अपने स्तर पर सुलटावें, जिसमें न्यायालय में दावा, आवेदन पेश करें, जबाबदावा, जबाब आवेदन, जवाबुल दावा, अन्य किसी भी प्रकार के प्रलेखों पर हमारी और से अपने हस्ताक्षर करें, बयानात के बयानात करावें, गवाहान से जिरह करें, हमारे पक्ष में निर्णय होने की भाँति उस निर्णय की अनुपालना करवावें, हमारे विरुद्ध यदि प्रकरण निर्णित

निवेदन करता हूँ

Tom



राजस्थान RAJASTHAN

होता है तो उस निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील, निगरानी, नजद सुप्रीम में
करे, स्थगित आदेश प्राप्त करें, इस आराजी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या
व्यक्ति विशेष के पक्ष में रहन रखें, व किसी को काशत पर बतलावें, इस आराजी को
कृषि से अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाने के लिये नगर सुधार न्यास, नगरपरिषद में
आवेदन आवेदित करें, उक्त उपर वर्णित आराजियात को निकाय विभाग से आवासीय
कॉलोनी या अन्य प्रयोजनार्थ अप्रूव्ड करवावें, उस कॉलोनी में विक्रीत किये जाने वाले
भूमिखण्डों के सम्बन्धित क्रेताओं के नाम से हमारी और से अपने हस्ताक्षरों से
प्रोवीजनल लेटर जारी करें, उन प्रोवीजनल लेटरों के अनुसार सम्बन्धित भूखण्ड क्रेताओं
को निकाय विभाग से पट्टा जारी करवायें, उस पट्टा जारी करवाने निमित्त समस्त
कार्यवाहियां हमारी और से अपने हस्ताक्षरों से करें, सम्बन्धित क्रेताओं से भूमिखण्डों की
प्रतिफल राशि नगद या जरिये चैक हमारे स्वयं के नाम से या मुख्तयार मजकूर अपने
नाम से प्राप्त करें, उन चैकों को सम्बन्धित बैंक खाता में जमा देकर उनका बैंक से
भुगतान प्राप्त करें, या अन्य किसी भी प्रकार की विभागीय एवं न्यायिक कार्यवाहियां
करें।

राजस्थान राज्य सरकार	20/-
1. अनामक	20/-
2. अनामक	20/-
3. अनामक	20/-
4. अनामक	20/-
5. अनामक	20/-
6. अनामक	20/-
7. अनामक	20/-
8. अनामक	20/-
9. अनामक	20/-
10. अनामक	20/-
कुल याग 30/- रुपये	

कहने का तात्पर्य यही है कि उक्त उपर वर्णित आराजियात में से हम
निष्पादनकर्तागण के हक, हिस्से की आराजी सम्पूर्ण या इसके किसी भी भाग की भूमि
को विक्रय करने एवं विक्रय पत्र या अन्य हस्तान्तरण प्रलेख, या विनिमय प्रलेख के
पंजीयन या इन आराजियात में आवासीय कॉलोनी अप्रूव्ड करवाने निमित्त समस्त
कार्यवाही करें, नामान्तरण तस्दीक करावाये, बंटवारा करवाये या किसी भी विवाद
सम्बन्धी, एवं रूपान्तरण सम्बन्धी, बंटवारा, भू उपयोग परिवर्तन एवं पट्टा जारी करवाने
निमित्त या अन्य समस्त कृत्यों सम्बन्धी जो भी कृत्य एवं कार्यवाहियां जिस किसी भी
सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग, निगम, बोर्ड, सचिवालय, न्यायालय, उच्च, उच्चतम
न्यायालय आदि के यहां हमारे द्वारा की जानी हो, वे समस्त कार्यवाहियां हमारी और से
हमारे मुख्तयार मजकूर अपने हस्ताक्षरों से कर सकते, तथा हमारे उक्त मुख्तयार



उप पंजीयन एवं मुद्रा
पंजीयन एवं मुद्रा
(राज.)



